ANNEXURE

THE PUNJAB VALUE ADDED TAX (THIRD AMENDMENT) ACT, 2011

(Punjab Act No.26 of 2011)

1. ***Short title and commencement.***— (1) This Act may be called the Punjab Value Added Tax (Third Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force at once.

2. **Amendment of section 6 of Punjab Act 8 of 2005.**—In the Punjab Value Added Tax Act, 2005 (hereinafter referred to as the principal Act), in section 6, after sub-section (6), the following sub-sections shall be added, namely:-

"(7) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) to sub-section(6), the State Government shall charge the tax in advance on the import of goods to be notified in such manner, as may be prescribed, and at such rates, as may be notified, but not exceeding the rates applicable on such goods under the Act:

Provided that such goods are meant for sale or use in manufacturing or processing of any goods for sale;

Provided further that such tax collected in advance, shall be counted towards final liability of the taxable person at the end of each tax period.

(8) The tax collected under the Punjab Tax on Entry of Goods into Local Areas Act, 2000 (Punjab Act No.9 of 2000), shall be deemed to have been collected under the provisions of sub-section (7)."

3. **Amendment of section 8 of Punjab Act 8 of 2005.**—In the principal Act, in section 8, in sub-section (1), in the proviso, the words "four per cent or" shall be omitted.

4. **Amendment of section 13 of Punjab Act 8 of 2005.**—In the principal Act, in section 13, after sub-section (1), the following sub-section shall be inserted, namely:-

"(1-A) The tax collected in advance under sub-section (7) of section 6, shall be treated as input tax credit."

5. **Amendment of section 62 of Punjab Act 8 of 2005.**—In the principal Act, in section 62, for sub-section (5), the following sub-section shall be substituted, namely:-

"(5) No appeal shall be entertained, unless such appeal is accompanied by satisfactory proof of the prior minimum payment of twenty-five per cent of the total amount of additional demand, penalty and interest, if any.

Explanation- For the purposes of this sub-section "additional demand" means any tax imposed as a result of any order passed under any of the provisions of this Act or the rules made there under or under the Central Sales Tax Act, 1956 (Act No.74 of 1956)".

6. **Repeal and saving.**—(1) The Punjab Value Added Tax (Third Amendment) Ordinance, 2011 (Punjab Ordinance No.9 of 2011) and the Punjab Value Added Tax (Fourth Amendment) Ordinance, 2011 (Punjab Ordinance No.10 of 2011), are hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal act, as amended by the Ordinances referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the principal Act, as amended by this Act.

[F. No. U-11020/5/2014-UTL]

RAKESH SINGH, Jt. Secy.

176

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 जुलाई, 2015

सा.का.नि. 595(अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतदद्वारा चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में निम्नलिखित आशोधनों के अध्यधीन पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम 2011 (वर्ष 2011 का पंजाब अधिनियम सं.27) को विस्तारित करती है, जैसा कि इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख को पंजाब राज्य में प्रवृत्त है, अर्थात्:—

आशोधन

1. धारा 1 की उप-धारा (1) में, "पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2011" शब्दों, कोष्ठकों एवं अंकों के बाद "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में यथा विस्तारित" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

2. धारा 3 का लोप किया जाएगा।

अनुलग्नक

पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2011

(वर्ष 2011 का पंजाब अधिनियम सं.27)

1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.—(1) इस अधिनियम को पंजाब मूल्य वर्धित कर (चौथा संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जाएगा।

(2) यह तत्काल प्रभावी होगा।

2. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 17 में संशोधन.—पंजाब मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 (यहां इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट) में, धारा 17 के मौजूदा उपबंध को उसकी उप-धारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनर्संख्यांकित उप-धारा (1) के बाद, निम्नलिखित उप-धाराएं अंत:स्थापित की जाएंगी अर्थात्:-

"(2) जहां कोई कर योग्य वस्तुएं विशेष आर्थिक जोन के भीतर किसी यूनिट को या किसी डेवलपर को बेची जाती हैं या जहां विशेष आर्थिक जोन के भीतर वस्तुओं का कोई अन्तर-यूनिट कारोबार किया जाता है, वहां ऐसी बिक्रियों की दर शून्य (जीरो-रेटेड) होगी। ऐसी बिक्री पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आउटपुट कर देय नहीं है"

परंतु यह कि शून्य-दर (जीरो-रेटेड) वाली बिक्री करने वाला कोई कर योग्य व्यक्ति ऐसी बिक्री के संबंध में इनपुट कर क्रेडिट के लिए पात्र होगा:

परंतु यह भी कि उपर्युक्त यूनिट या किसी डेवलपर को की गई बिक्री या कोई अंतर यूनिट कारोबार, ऐसे प्रारूप में, जो निर्धारित किया जाए, प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के अध्यधीन जीरो-रेटेड होगा।

3. जहां उप-धारा (2) में निर्दिष्ट कोई यूनिट सीधे ग्राहक को बिक्री करती है, वहां उप-धारा(2) में विनिर्दिष्ट जीरो-रेटेड बिक्रियों के उपबंध लागू नहीं होंगे।

स्पष्टीकरण:-

(i) शब्द "यूनिट" और "विशेष आर्थिक जोन" के वही अर्थ होंगे जो पंजाब विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2009 (वर्ष 2009 का पंजाब अधिनियम सं.17) में इन शब्दों के लिए दिए गए हैं;

(ii) "डेवलपर" से कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, जिसमें कंपनी, फर्म या सरकारी उपक्रम शामिल हैं, अभिप्रेत है जो विशेष आर्थिक जोन में आंशिक या पूर्ण अवसंरचना और अन्य सुविधाएं स्थापित, निर्मित, संस्थापित, प्रचालित करता है, अनुरक्षित करता है या उनका प्रबंधन करता है।"

3. वर्ष 2005 के पंजाब अधिनियम 8 की धारा 27 में संशोधन.—मूल अधिनियम में, धारा 27 में, "चार प्रतिशत" शब्द जहां कहीं आए हैं, वहां उनके लिए "पांच प्रतिशत" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[फा. सं. यू 11020/5/2014-यू टी एल]

राकेश सिंह, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th July, 2015

G.S.R. 595(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganization Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Punjab Value Added Tax (Fourth Amendment) Act, 2011, (Punjab Act No.27 of 2011), as in force in the State of Punjab on the date of publication of this notification, subject to the following modifications, namely:-